(e) Approval for conducting verification in all the five cases was accorded. The verification in these cases is under progress.

REVAMPING OF EMPLOYMENT EXCHANGE

2423. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have been the news items which appeared in his Times of India of 27th September, 1993 under the captioned "Employment Exchange to berevamped" :

(b) whether the set up of employment exchanges are being revamped ; and

(c) whether any modification have been proposed if so, what are the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Functioning of employment exchanges is reviewed from time to time and proposal for improving and streamlining the services are discussed in the Meeting of the Working Group on National Employment Service which is normally held once a year. The Working Group recommends simplification of the procedure etc. for providing better services both to the job-seekers and employers. The next meeting of the Working Group is likely to be held in the first quarter of 1994.

दिल्ली में ट्रेवल एजेन्सियां

2424. श्री मौलाना आबदुल्ला खान आजमी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कौन-कौन सी ऐसी पंजीकृत/लाइसेंसशुदा ट्रैवल एजेंसियां हैं जो लोगों को विदेशों में रोजगार के लिए भेजती हैं;

(ख) ऐसी एजेंसियों के पते और उनके मालिकों के नाम क्या-क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी कई एजेंसियां लोगों को धोखा देती हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन से ऐंजसियां हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नियम – विरुद्ध कार्य करने के आधार पर मामले दर्ज किए गए/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ड) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री श्री पबन सिंह घटोवार : (क) और (ख) : सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगा।

(ग) और (घ): भर्ती ऐजेंन्टों द्वारा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के विभिन्न उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उल्लंघन एवं धोखाधड़ी के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के जिन भर्ती ऐजेन्टों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ड.) पुलिस की मदद से शिकायतों की जांच की जाती है। समुचित मामलों में पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित/रद्द करने के लिए कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1992 व 1993 (30-11-1993 तक) के दौरान दिल्ली के 4 भर्ती ऐजेन्टों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किये गये हैं।

विवरण

दिल्ली के भर्ती एजेन्ट के नाम जिनके विरुद्ध वर्ष 1990 से 1993 (30-11-1993 तक) के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई थीं

क्रम सं.	भर्ती एजेंसियों के नाम
	1990
1.	मैसर्स सक्सेस कन्सल्टेंट्स
2.	मैसर्स एनिस कन्स्ट्रक्शन सर्विस (प्रा.) लि.
	1991
1.	मैसर्स स्वीटी इंडिया इंटरनेशनल
2.	मैसर्स लाम्बा फोरेन ट्रेवल्स प्रा. लिमिटेड
3.	मैसर्स एबीसी इंटरनेशनल
4.	मैसर्स ए. जे. इन्टरनेशनल
5.	मैसर्स आर. के. इन्टरनेशनल
6.	मैसर्स गुलाटी इन्टरनेशनल
7.	मैसर्स गल्फको इन्टरनेशनल